न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 495/2013
अन्तर्गत धारा 188, 88, 92ए, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

करतारचन्द आत्मज श्री गोरायाराम, अरोड़ा(मृत)
1.1. प्रोमिला वर्मा धर्मपत्नी स्व.श्री करतारचन्द,
1.2. निशा पियूष गुहा आत्मजा स्व. श्री करतारचन्द
1.3. स्वपन मंजरी आत्मज स्व. श्री करतारचन्द, अरोड़ा, कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

.....वादीगण

बनाम

1. प्रेमचन्द आत्मज श्री गोरायाराम, अरोड़ा, कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. डा. श्यामलाल ठकराज आत्मज श्री टोपनदास, अरोड़ा, ठकराल नर्सिंग होम, हाजी रतन चौक, गुलफाम होटल के सामने, सिविल लाईन्स, बाठिण्डा(पंजाब)
3. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर.

.....प्रतिवादी

उपस्थित– श्री इन्द्रजीत बिश्नोई (वादीगण)
श्री जी.के.लाल (प्रतिवादी–2)
पेरोकार राज (प्रतिवादी–3)

दिनांक 04 अप्रेल, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के अनुसार चक 4 जे बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 41 किला नम्बर 3 से 8, 13/2(0.10), किला नम्बर 14 से 17, किला नम्बर 24 एवं 25 कुल 12.10 बीघा अर्थात 3.087 हैक्टर कृषि भूमि (जिसे निर्णय के शेष भाग में प्रश्नगत कृषि भूमि से सम्बोधित किया जा रहा है) में वादी का 0.843 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 का 1.687 हैक्टर एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 0.632 हैक्टर हिस्सा है. चूंकि प्रश्नगत कृषि भूमि पक्षकारान के नाम पर संयुक्त खाता में दर्ज है जिसका वादी विभाजन करवाकर अपने खातेदारी कृषि भूमि का पृथक खाता दर्ज करवाना चाहता है ताकि किसी भी संयुक्त खातेदार का हस्तक्षेप न रहे. प्रतिवादी संख्या 1 बिना विभाजन करवाये ही पृथक से काश्त करवा रहार है और वादी अपने हिस्सा की कृषि भूमि का पानी नहीं लगाने देता जिससे पक्षकारान के मध्य विवाद बना रहता है. वादी द्वारा प्रतिवादीगण से संयुक्त खाता को अपने अपने हिस्सा के अनुसार पृथक पृथक करवाकर विभाजन करवावें ताकि इस सम्बन्ध में कोई विवाद न रहे, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दिनांक 4 फरवरी, 2007 को विभाजन करवाने से इन्कार हो गये. जिससे वादी को विश्वास हो गया कि अब न्यायालय की सहायता के

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

बिना वर्णित भूमि का विभाजन नहीं हो सकता. इस कारण वादी प्रश्नगत कृषि भूमि के विभाजन की बाबत वादपत्र प्रस्तुत कर रहा है. विधि अनुसार संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में प्रत्येक इन्च पर प्रत्येक संयुक्त खरातेदार का कब्जा होता है. इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 को उपराक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में बिना विभाजन करवाये पृथक से काश्त करवाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है. इस कारण वादी, प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आश्य की अस्थायी निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 प्रश्नगत कृषि भूमि के किसी भी भाग को बिना वादी की सहमति के किसी अन्य व्यक्ति को काश्त करवाने का अधिकारी नहीं है. प्रतिवादी संख्या 1 को प्रश्नगत कृषि भूमि से जो आय प्राप्त हो रही है उसका भी कोई हिसाब किताब वादी को नहीं देता, जबकि प्रश्नगत कृषि भूमि की आय मे से वादी अपने हिस्सा की कृषि भूमि की आय प्राप्त करने का ही अधिकारी है और प्रतिवादीगण, वादी को अदा करने के लिये उत्तरदायी हैं. इस कारण प्रतिवादीगण से इस संयुक्त खाता की भूमि में से हो रही आय का भी हिसाब किताब लिया जाकर वादी को उसका हिस्सा प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे. वादी इस संयुक्त खाता की भूमि का विभाजन किया जाकर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी जिस प्रकार से भी प्रत्येक खातेदार के हिस्सा में आती है, किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी की जावे और प्रत्येक खातेदार को उसके हिस्सा के अनुसार कब्जा दिया जावे. प्रश्नगत संयुक्त खाता को विभाजन के अनुसार राजस्व अभिलेखों में पृथक पृथक इन्द्राज किया जाकर पृथक पृथक लगान कायम किया जावे. इस प्रकार वादी द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी की दर से विभाजन किया जाकर विभाजित कृषि भूमि का कब्जा दिलाने, राजस्व अभिलेखों में प्रत्येक खातेदार के नाम पर पृथक पृथक खाता कायम कर पृथक लगान कायम किये जाने के साथ साथ प्रतिवादीगण के विरूद्व, प्रश्नगत कृषि भूमि के किसी भाग को वादी की सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति से काश्त करवाने से निषिद्व करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2062–2065 एवं श्री करतारचन्द वर्मा द्वारा निष्पादित मुख्तयानामा आम की प्रति सलंग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 2 की तलबी हेतु जारी पंजीकृत सम्मन की पावती प्राप्त होने पर भी उपस्थित नहीं आने के परिणामतः आदेश दिनांक 2 अप्रेल, 2007 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 3 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 8 अप्रेल, 2009 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रारम्भिक आपत्तियों में अंकित किया गया कि प्रश्नगत कृषि भूमि से सम्बद्व वाद संख्या 37/2001 प्रस्तुत किया गया था जिसे दिनांक 12 अप्रेल, 2006 को निरस्त किया

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

गया है. वादी उस वाद में प्रतिवादी संख्या 2 था इसलिये विचाराधीन वाद पूर्व न्याय के सिद्वान्त के आधार पर धारा 11 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत विधि द्वारा बाधित है. प्रश्नगत कृषि भूमि का मौखिक विभाजन काफी समय पूर्व हो चुका है तथा सह खातेदार अपने अपने हिस्सा में आयी कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं. किसी का भी एक दूसरे की भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है. वादी के हिस्सा में किला नम्बर 15, 16 एवं 25 कुल 3.00 बीघा कृषि भूमि आयी हुई है जिसे वादी द्वारा डा. श्यामलाल प्रतिवादी संख्या 2 के जरिये श्री मेजरसिंह को 2005–06 में ठेका पर दी तथा डा. श्यामलाल के जरिये ठेका राशि वसूल की गयी. तत्पश्चात, वादी द्वारा अपने हिस्सा की कृषि भूमि को काश्त नहीं किया गया. इसलिये उसके हिस्सा की कृषि भूमि अनउपजाउ हो गयी इसलिये वादी को अपने हिस्सा की अनुपजाउ भूमि के बदले प्रतिवादी संख्या 1 की उपजाउ भूमि को प्राप्त करने का असद्भावी लालच आ गया है. वादी को कोई वाद हेतुक नहीं है जिसके द्वारा तथ्यों को छिपाकर वाद प्रस्तुत किया गया है. शुद्व मन से न आने के आधार पर भी वादी न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है. वादी द्वारा अपना पता 18 विनोबा बस्ती, श्रीगंगारनगर अंकित किया गया है जब वह कभी भी इस पता पर नहीं रहा. जब तक वह दिल्ली का अपना सही पता नहीं देता, वाद पोषणीय नहीं है. प्रतिवादी संख्या 1 का नाम प्रेमकुमार है किन्तु जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम गलत अंकित होने के कारण ही प्रेमचन्द अंकित किया गया है. वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 का पता भी गलत दिया गया है ताकि गलत पते पर तामील न होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जा सके. प्रतिवादी संख्या 1 का सही पता श्रीकृष्ण प्रेम सरोवर कुटिया के सामने, सैपल होटल के नजदीक, जी.टी.रोड, भाठिण्डा है. इसी आधार पर पर भी वादपत्र पोषणीय नहीं है. वादी, प्रतिवादी प्रेमकुमार, रामचन्द एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता स्व. श्री टोपनदास के पिता स्व. श्री गुरायाराम चक 4 जे बड़ा के मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 3 से 8, 14 से 17, 25 एवं 25 एवं किला नम्बर 13(0.10) बीघा कुल 12.10 बीघा कृषि भूमि के मालिक थे. किला नम्बर 2, 4 एवं 5 में खाल होने से प्रतिवादी संख्या 1 एवं रामचन्द्र के हिस्सा में किला नम्बर 3 से 8 एवं किला नम्बर 13(0.10) आया जिसमें से श्री रामचन्द्र द्वारा अपपने हिस्सा की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को विभाजन से पूर्व ही विक्रय कर दिया तथा किला नम्बर 13(0.10), किला नम्बर 18 एवं 23 कुल 2. 10 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा क्रय कर लिया गया. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 किला नम्बर 3 से 8, किला नम्बर 13, 18 एवं 23 कुल 9.00 बीघा कृषि भूमि का मालिक है. वादी श्री करतारचन्द किला नम्बर 15, 16, 24 कुल 3.00 बीघा कृषि भूमि का मालिक है. स्व. श्री टोपनदास के वारिसान किला नम्बर 14, 17, 24 के मालिक हैं. वादी अपना हिस्सा 0.843, प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1.687 तथा श्री टोपनदास का स्सिा 0.632 कुल 3.162 हैक्टर कृषि भूमि बनती है जबकि वादी कुल 3.087 हैक्टर कृषि भूमि बताता है. वादी श्री करतारचन्द के तथाकथित मुख्तयारआम को वाद पत्र के बिन्दु संख्या

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

1 से 9 में अंकित तथ्यों की नीजि जानकारी होना सम्भव नहीं है. अतः मिथ्या सत्यापन के आधार पर वादपत्र निरस्त किये जापने योग्य है. बिन्दुवार जवाब वादपत्र में अंकित किया गया कि स्व. श्री टोपनदास के प्रतिवादी संख्या 2 के अतिरिक्त अन्य वारिसान भी हैं जो वादपत्र में आवश्यक पक्षकार हैं जिन्हें पक्षकार न बनाने के कारण भी वाद निरस्त किये जाने योग्य है. अभिलेखों के अनुसार जो हिस्से वादी द्वारा दर्शाये गये हैं, वे मात्र स्व. श्री गुरायाराम के उक्त चार पुत्रों के अतिरिक्त उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बुद्दाबाई हिस्सा बराबर बराबर वारिस थी, किन्तु श्रीमती बुद्दागाई टोपनदास के अलावा अन्य तीन पुत्रों की माता होने के कारण उनका हिस्सा श्री टोपनदारस के अतिरिक्त शेष तीन पुत्रों पर न्यागत हुआ किन्तु मौखिक विभाजन के समय समस्त पक्षकारों की सहमति से चारों पुत्रों को बराबर बराबर हिस्सा दिया गया. प्रतिवादी संख्या 1 विभाजन करवाकर अपने हिस्सा पर ही काश्त करवा रहा है. वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 की तथाकथित भूमि में पानी लगाने के लिये किला नम्बर 4 व 5 के मध्य खाल बना हुआ है. पहले उनके हिस्सा का पानी ठेकेदार श्री मेजरसिंह लगाता रहा तत्पश्चात, अन्य पड़ोसियों द्वारा लगाया जा रहा है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के हिस्सा की कृषि भूमि में कभी बाधा उत्पन्न नही की गयी. वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत कोई विवाद नहीं है. जब विभाजन के बाद समस्त अपने अपने हिस्सा पर काबिज है तो किसी को भी विभाजन हेतु कहे जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है. न ही प्रतिवादी संख्या 1 को विभाजन हेतु कभी कहा गया है इसलिये वादी को कोई वाद हेतु उपलब्ध नहीं है. प्रतिवादी संख्या 1 विभाजन में प्राप्त अपने हिस्सा की कृषि भूमि को काश्त करवा रहा है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व वादी को किसी भी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है. न ही प्रतिवादी संख्या 1 को अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर काश्त करने के लिये वादी की सहमति की आवश्यकता ही है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के हिस्सा के किला नम्बर 15, 16 एवं 25 को कभी काश्त नहीं किया गया और न ही कोई आय प्राप्त की गयी है. इसलिये हिसाब किताब करने का भी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है.संयुक्त कृषि भूमि को मौखिक विभाजन के अनुसार पर राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किये जाने एवं अलग अलग लगान कायत किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादपत्र विशेष खर्चा एवं अनुकरणीय खर्चा के साथ निरस्त करने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 3 मार्च, 2010 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत की गयी.

वादी अधिवक्ता द्वारा उपस्थित नहीं आने के परिणामतः आदेश दिनांक 3 नवम्बर, 2011 द्वारा पत्रावली अदम पैरवी में खारिज की गयी.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

विविध आवेदनपत्र संख्या 282/2013 शीर्षक करतारसिंह बनाम प्रेमचन्द वर्मा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 7 मई, 2013 के अनुसरण में पत्रावली री–स्टोर की गयी.

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 3 मार्च, 2010 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत की गयी. जिसके अनुसार विचाराधीन वाद विधि द्वारा वर्जित है क्योंकि विभाजन वाद के लिये यह आवश्यक है कि समस्त सहहिस्सेदारान को पक्षकार बनाया जावे. वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 2 डा. श्यामलाल ठकराल के अन्य 7 भाई व बहिन, मृतक कृष्णलाल के दो लड़के, पत्नी भागीार हैं. जिन्हें विचाराधीन वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है. राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में मात्र श्यामलाल ठकराल के पिता स्व. श्री टोपनदास का ही नाम है जबकि उनकी मृत्यु करीब 8–10 वर्ष पूर्व हो चुकी है. प्रतिवादी संख्या 2 का नाम जमाबन्दी में न होते हुऐ भी पक्षकार बनाया गया है. जबकि डा. श्यामलाल के अन्य सात भाई, बहिन, भाभी एवं भतीजे भी स्व. टोपनदास के उत्तराधिकारी हैं. मौखिक विभाजन हो चुका है और काफी अर्सा से वादी, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 श्यामलाल के अलावा अन्य भाई बहन अपनी अलग अलग भूमि पर काश्त कर रहे हैं. किसी का किसी अन्य की भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है. वादी करतारचन्द के पास चक 4 जे बड़ा के मुरब्बा नम्बर 41 किला नम्बर 15, 16 एवं 25 कुल 3.00 बीघा कृषि भूमि है जिसे करतारचन्द द्वारा वर्ष 2005–06 में मेजरसिंह को डा. श्यामाल की मार्फत ठेका पर दिया था. ठेका राशि भी डा. श्यामलाल की मार्फत ही वसूल की जाती रही. जिसके पश्चात उल्लेखित कृषि भूमि में काश्त नहीं हुई और भूमि अनउपजाउ हो गयी है. इस प्रकार उल्लेखित 3.00 बीघा अनउपजाउ कृषि भूमि के बदले प्रतिवादी संख्या 1 की उपजाउ भूमि को प्राप्त करने का वादी को लालच होने के कारण असद्भाविक नीयत से वादी द्वारा मिथ्या तथ्यों पर वाद प्रस्तुत किया गया है. शुद्व मन से न आने के कारण वादी को अदालत से बाहर जाने का रास्ता न्यायालय द्वारा दिखाया जाना वाजिब है. पूर्व में भी एक विभाजन वाद डा. श्यामलाल प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इसी न्यायालय में वाद संख्या 37/2001 प्रस्तुत किया गया था जिसमें श्यामलाल वादी, प्रेमचन्द, करतारचन्द, रामचन्द्र प्रतिवादी संख्या 1 से 3, स्व. श्री टोपनदास के पुत्र हरीशचन्द, राजेन्द्रकुमार, सुभाषचन्द व सुरेशकुमार प्रतिवादी संख्या 4 से 7, स्व. टोपनदास के लड़के स्व. कृष्णलाल के दो लड़के प्रतिवादी संख्या 8 व 9, उसकी विधवा पत्नी श्रीमती सावित्रीदेवी, प्रतिवादी संख्या 10 एवं स्व. टोपनदास की दो पुत्रियां प्रतिवादी संख्या 11 व 12, राजस्थान सरकार के अलावा पक्षकार बनाये गये थे. वाद संख्या 37/2001 को वादी श्यामलाल द्वारा नॉट प्रेस्ड में दिनांक 12 अप्रेल, 2006 को खारिज करवा लिया गया. वादी करतारचन्द द्वारा प्रतिवादी श्यामलाल से मिलीभगत कर पुनः विचाराधीन वाद प्रस्तुत किया गया है जिसके लिये वादी को न तो वादहेतुक उपलब्ध है व न ही एक बाद वाद खारिज करवाने के बाद पुनः प्रस्तुत वाद पोषणीय ही है. वादी द्वारा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

अपना पता 18 विनोबा बस्ती जानबूझ कर मिथ्या अंकित किया गया है इसी आधार पर भी, जब तक दिल्ली का सही पता नहीं दें दिया जाता, तब तक वाद पोषणीय नहीं है. वादी द्वारा प्रतिवादी डा. प्रेमचन्द वर्मा का पता जानबूझ कर गलत अंकित किया गया है जबकि प्रतिवादी का पता 2876 सामने श्री कृष्ण प्रेम सरोवर कुटिया नजदीक सैपल होटल जी.टी.रोड है. इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 डा. श्यामलाल आदि, 10 वारिसान को भी मौखिक विभाजन में चक 4 जे बड़ा के मुरब्बा नम्बर 41 में किला नम्बर 14, 17, 24 मिले हुऐ हैं व वे इस विभाजन की तिथि से ही काबिज हैं. इन्होने भी साल 2005–06 में अपनी कृषि भूमि वादी करतारचन्द से मिलकर संयुक्त रूप से मेजरसिंह को ठेका पर देकर ठेका राशि वसूल की गयी थी. इसके बाद श्यामलाल एवं करतारचन्द की तरह काश्त नहीं कर रहा है इसलिये उसकी कृषि भूमि भी अनउपजाउ हो रही है. इन दोनों ने मिलकर अपनी अनउपजाउ भूमि के बदले प्रतिवादी संख्या 1 की उपजाउ भूमि को हड़पने की असदभाविक नीयत से आपसी मिलीभगत कर वाद प्रस्तुत किया गया है जो कि पोषणीय नहीं है. प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमचन्द को विभाजन में मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 3 से 8 व किला नम्बर 13 मिले क्योंकि विभाजन से पूर्व ही हिस्सेदार रामचन्द्र ने अपना हिस्सा डा. प्रेमकुमार को विक्रय कर दिया था. प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमचन्द अपनी उक्त समस्त कृषि भूमि मजदूरों से काश्त करवा रहा है. प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमचन्द ने अपने हिस्से का पानी ही इस्तेमाल किया है और कभी भी वाद एवं प्रतिवादी संख्या 2 का पानी अपनी भूमि में नहीं लगाया. इस प्रकार मौखिक विभाजन एक्टिव हो चुका है और किसी को भी उक्त मौखिक विभाजन पुनः खुलवाने का कोई अधिकार नहीं है. प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमचन्द के हक में अपनी उक्त विभाजित भूमि की गिरदावरी भी विभाजन तिथि से आज तक हो रही है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 की जमीन खाली पड़ी है और राजस्व अभिलेखों में भी खाली पड़ी दिखायी हुई है. तथाकथित तिथि 4 फरवरी, 2007 तकमीलन दर्ज की ग्रयी है. वादी ने इसी तिथि या अन्य किसी भी तिथि को कभी भी प्रतिवादी को विभाजन हेतु नहीं कहा और न ही विभाजन होने के बाद इस तरह की विभाजन की मांग करने का कोई अधिकार है. प्रतिवादी संख्या 1 अपनी कृषि भूमि का लगान अलग से अदा कर रहा है. किसी भी मुख्तयार आम को वादी की ओर से शपथपत्र देने या इबारत तस्दीक करने का कोई अधिकार नहीं है. वादी ने वाद में अंकित पते के अलावा भिन्न पते पर नोटिस भिजवाये हैं जो कि गैर कानूनी है वाद में अंकित पते के अलावा अन्य पते पर तामील निकलवाना, वाद में संशोधित किये बिना वैद्य नहीं है. वादपत्र के शीर्षक में दावा जरिये मुख्तयार आम पेश करना अंकित नहीं किया गया है अतः इसी आधार पर भी वाद पोषणीय नहीं है. इस प्रकार वाद सव्यय, विशेष खर्चे व अनुकरणीय खर्चे से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया. जवाब वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में जल उपभोक्ता संगम द्वारा जारी पानी की पर्ची संख्या 2072 दिनांक 3 जून, 2013, पानी की पर्ची संख्या 08 दिनांक 3 नवम्बर, 2014 मूल ही प्रस्तुत किये गये.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक

वादी द्वारा जवाब आवेदनपत्र दिनांक 10 अक्तूबर, 2013 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार वादपत्र अनतर्गत धारा 53, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का होने से केवल माननीय न्यायालय को ही श्रवणाधिकार उपलब्ध है इसलिये वाद किसी भी प्रकार से विधि द्वारा वर्जित नहीं है. शेष तथ्यों की बाबत जवाब वादपत्र के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर विवाद्यकों के निर्धारण एवं साक्ष्योपरान्त ही निर्णय लिया जा सकता है. इसी स्तर पर आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत वादपत्र निरस्त नहीं किया जा सकता. यदि किसी को पक्षकार नहीं बनाया गया है तो केवल साक्ष्य लेकर ही विधिक विवाद्यक निर्धारित होकर विनिश्चित किया जा सकता है. यह अंकित किया जाना भी गलत है कि विभाजन हो चुका है राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि संयुक्त नाम से दर्ज है. संयुक्त खाता की कृषि भूमि पर प्रत्येक हिस्सेदार का प्रत्येक इन्च पर अधिकार है इसलिये किलावाईज विभाजन आवश्यक है. इस प्रकार आवेदनपत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया. जिस पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 11 मई, 2015 द्वारा आवेदनपत्र में अंकित तथ्यो पर विवाद्यकों के निर्धारण एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही विनिश्चय किया जा सकता है तथा विचाराधीन आवेदनपत्र आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता के अव्यवों की पूर्ति नहीं करने के कारण आवेदनपत्र अस्वीकार किया गया.

प्रतिवादी संख्या 3 राज्यपक्ष की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 7 जुलाई, 2015 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार राज्यपक्ष को मध्यनजर रखते हुऐ निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

1. क्या चक 4 जे बडा तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 3 से 8(3.00) बीघा, किला नम्बर 13/2(0.10) बीघा, किला नम्बर 14 से 17 एवं किला नम्बर 24 व 25 कुल 12.10 बीघा एतदद्वारा 3.087 हैक्टर कृषि भूमि पक्षकारान की संयुक्त खाता की कृषि भूमि है? **....वादी**

2. क्या प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत वादी विभाजन करवा कर अपने अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है? **....वादी**

3. क्या प्रश्नगत कृषि भूमि बाबत पारिवारिक स्तर पर विभाजन किया गया, जिसके परिणमताः किला नम्बर 15, 16, 25 कुल 3.00 बीघा वादी के हिस्सा में आयी? **.प्रतिवादी–1**

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

4. क्या प्रश्नगत कृषि भूमि में से श्री रामचन्द्र द्वारा अपने हिस्सा की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय की गयी है?
....**प्रतिवादी–1**

5. अनुतोष?

साक्ष्य वादी हेतु श्री मनोज चेतल द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया. किन्तु जिरह हेतु यथोचित अवसर दिये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने के कारण आदेश दिनांक 08 मार्च, 2016 को अन्तिम अवसर दिनांक 29 मार्च, 2016 को न्यायहित में पुनः अन्तिम अवसर दिया गया,

वादी की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 16 अगस्त, 2016 अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार विचाराधीन वादपत्र में पैरवी करने के लिये श्री मनोज चेतल आत्मज श्री कालीदास चेतल निवासी नई दिल्ली को अपना मुख्तयार खास नियुक्त कर मुख्तयारनामा खास दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 को निष्पादित कर प्रमाणित करवाया हआ है जिस पर दोनों के चित्र चस्पा हैं. अतः आवेदक मुख्तयार खास मनोज चेतल के माध्यम से प्रकरण की पैरवी करना चहता है तथा मुख्तयारनामा खास को प्रदर्श करवाना चाहता है जिसके लिये मा. न्यायालय की अनुमति अपेक्षित है. उक्त आवेदनपत्र दिनांक 23 जुलाई, 2015 को प्रस्तुत किया गया तथा वादपत्र के विचारण काल के दौरान मुख्तयार खास नियुक्त किया गया है. इस प्रकार प्रकरण प्रस्तुत करते समय उपरोक्त अभिलेख अस्तित्व में नहीं होने के कारण प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं था. अब पेश करना आवश्यक है जिसकी चित्रित प्रति पूर्व में ही पत्रावली में उपलब्ध है. मूल अभिलेख आज प्रस्तुत कर रहा है जिसे प्रस्तुत करने तथा प्रदर्श करवाये जाने की अनुमति अपेक्षित है. इस प्रकार असल मुख्तयानामा खास प्रस्तुत करने तथा पैरवी की इजाजत प्रदान करने तथा मुख्तयारनामा खास को प्रदर्श करवाने की अनुमति हेतु निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में मूल मुख्तयारनामा खास दिनांक शून्य प्रस्तुत किया गया. जिस पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त, आदेश दिनांक 14 सितम्बर, 2016 द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार किसी भी पक्षकार द्वारा प्रकरण की पैरवी हेतु मुख्तयार खास नियुक्त किये जाने पर न्यायालय की पूर्वानुमति आवश्यक है किन्तु विचाराधीन पत्रावली में वादी की ओर से वादी साक्ष्य हेतु मुख्तयार खास द्वारा प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है. जिसकी बाबत पूर्वानुमति प्राप्त नहीं की गयी है. ऐसी स्थिति में, न्यायहित के दृष्टिगत 500.00 कॉस्ट पर आवेदनपत्र स्वीकार किया गया.

साक्षी वादी द्वारा जिरह हेतु उपस्थित नहीं आने के कारण आदेश दिनांक 26 सितम्बर, 2016 द्वारा राशि 200.00 कॉस्ट पर पुनः अन्तिम अवसर दिया गया. साक्षी वादी के उपस्थित आने पर जिरह की गयी.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 7 दिसम्बर, 2016 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार विचाराधीन वाद में माननीय न्यायालय के समक्ष चक 4 जे बड़ा के मुरब्बा नम्बर 41 के 12.10 बीघा की बाबत विचारण चल रहा है. जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व दिनांक 03 अप्रेल, 2013 को एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है. माननीय न्यायालय द्वारा जारी सम्मन दिनांक 11 फरवरी, 2013 का तारीख पेशी 28 फरवरी, 2013 का दिनांक 21 फरवरी, 2013 को प्राप्त हुआ जो विधिवत् रूप से स्वीकार्य योग्य नहीं था क्योंकि सम्मन पर किसी भी निष्पक्ष गवाह के हस्ताक्षर नहीं है और न ही प्रतिवादी संख्या 2 को सम्मन की तामील की गयी. वादपत्र प्रारम्भिक स्तर पर है. प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त किये जाने से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता. प्रकरण में प्रतिवादी ंख्या 2 के हिस्से का निर्धारण किया जाना है इसलिये न्यायहित में प्रतिवादी संख्या 2 को साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत किये जाने काअ वसर दिया जाना न्यायोचित होगा. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 3 अप्रेल, 2013 को निरस्त कर प्रतिवादी संख्या 2 को साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत करने के अवसर दिये जाने का निवेदन किया गया.

वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब आवेदनपत्र प्रस्तुत नही किया गया.

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब आवेदनपत्र दिनांक 30 मार्च, 2017 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन आवेदनपत्र के साथ शपथपत्र प्रस्तुत नही किया गया है. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इसी कृषि भूमि के विभाजन हेतु वादपत्र संख्या 37/2001 शीर्षक श्यामलाल बनाम प्रेमचन्द व अन्य दिनांक 25 फरवरी, 2001 को प्रस्तुत किया गया था जो अदम पैरवी में दिनांक 12 अप्रेल, 2006 को निरस्त किया गया है. इसी कृषि भूमि की बाबत एक सिविल वाद मा. अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये तथा इसी प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वाद संख्या 37/2001 में अपने बयान दिनांक 3 मार्च, 2003 में स्वीकार कियागया है कि सिविल वाद के स्थगन आदेश की जानकारी नहीं थी. अतः वाद संख्या 37/2001 प्रस्तुत किया गया. इस प्रकार यह विवाद वर्ष 1991 से लम्बित है तथा अब वर्ष 2016 में करीब 25 वर्षो के बाद प्रतिवादी संख्या 2 इस आवेदनपत्र से वाद को नये सिरे से कार्यवाही करवाना चाहता है. उक्त वादपत्र में भी यही अधिवक्ता रहे हैं. विचाराधीरन वाद 2007 में प्रस्तुत किया गया. प्रतिवादी संख्या 2 तामील के बावजूद हाजिर नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व दिनांक 12 अप्रेल, 2007 को एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. वर्ष 2007 के आरम्भ में अब वर्ष 20016 के अन्त तक लगभग 10 वर्ष बीत चुके हैं गत 10 वर्षो तक अनुपस्थित रहने का लेशमात्र भी आधार दर्शित नहीं किया गया है जबकि आदेश 9 नियम 7 व्यवहार प्रकिया संहिता में अनुपस्थित रहने के बाद की सुनवाई की तिथि को आवेदनपत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है. विचाराधीन वादपत्र अदम

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

पैरवी में निरस्त किया गया था तथा निरस्त होने के कई सालों बाद बाजवा नम्बर करवाया गया जिनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश हो उनको आवेदनपत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व्यवहार प्रकिया संहिता के नोटिस जारी किये जाने का भी प्रावधान नहीं है जिसके बावजूद भी वादी द्वारा नोटिस जारी किये गये जिनकी तामील स्वयं प्रतिवादी संख्या 2 के हस्ताक्षरों से दिनांक 09 फरवरी, 2013 को की गयी जिसके बावजूद भी लगभग 4 वर्ष बीत चुके हैं. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा फास्ट ट्रेक न्यायालय का उदेश्य ही विफल कर दिया है जहां बुद्विमतपूर्ण प्रारूपण से वाद हेतु की भ्रान्त पैदा की जाती है जहां चालाकी अथवा विधिक धूतर्ता से एकसी परिहासपूर्ण मुकदमेंबाजी से न्यायालय की विश्वसनीयता समाप्त की जाती है वहां भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 11 के प्रावधानों से ऐसे व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही की जानी चाहिये. अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह तुच्छ, कपटपूर्ण मुकदृमेंबाजी में सहयोग न करे. प्रतिवादी संख्या 1 को चिकित्सीय सेवाओं से अवकाश लेकर प्रत्येक पेशी पर कार द्वारा आना पड़ना है जिसकी एक लाख रूपयों से भी भरपाई नहीं की जा सकती. इस प्रकार आवेदनपत्र सव्यय निरस्त ही नहीं किये जाने बल्कि प्रतिवादी संख्या 2 को भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 11 के अधीन दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया. जिस पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 12 अप्रेल, 2017 द्वारा प्रथमताः वाद संस्थित होने पर प्रतिवादी संख्या 2 की तलबी हेतु पंजीकृत सम्मन दिनांक 12 फरवरी, 2007 को पंजीबद्व करवाये गये जिनकी पावती प्राप्त होने पर आदेश दिनांक 2 अप्रेल, 2007 को प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. तदोपरान्त, आदेश दिनांक 3 नवम्बर, 2011 द्वारा पत्रावली अदम उपस्थिति में निरस्त की गयी. जिसे आवेदनपत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 2 की तलबी हेतु पुनः सम्मन दिनांक 11 फरवरी, 2013 जारी किये जिस पर तामील कुनिन्दा द्वारा निवेदन है कि डा. श्यामलाल ठुकराल को सम्मन और दावे की कापी दे करके तारीख पेशी ते पाबन्द किया गया, टिप्पणी की गयी जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 के हस्ताक्षर उपलब्ध हैं. तथा व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार जब प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा स्वयं हस्ताक्षर किये गये हैं. जिसके परिणामताः आदेश दिनांक 07 मई, 2013 द्वारा आदेश दिनांक 3 नवम्बर, 2011 को निरस्त कर प्रकरण यथावत री–स्टोर किया गया. चूंकि प्रारम्भिक स्तर पर तलबी हेतु जारी पंजीकृत सम्मन की पावती प्राप्त हुई एवं पुनः दिनांक 11 फरवरी, 2013 पर भी प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं जिसके परिणामताः ही प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन आवेदनपत्र में आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया गया है जबकि न्यायालय के समक्ष आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत ही नही किया गया. इसके अतिरिक्त, व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार मूल वाद पत्रावली में पारित आदेश दिनांक 02 अप्रेल, 2007 तथा पुनः विविध पत्रावली में

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
( ) श्रीगंगानगर

पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 3 अप्रेल, 2013 से आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक विलम्ब के कारणों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है. इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन आवेदनपत्र के बिन्दु संख्या 3 में अंकित किया गया है कि वादपत्र अभी प्रारम्भिक स्तर पर है जबकि पत्रावली के अनुसार विवाद्यकों के निर्धारणोपरान्त साक्ष्य वादी के प्रस्तुत होने पर जिरह की जा चुकी है तथा पत्रावली वास्ते अन्य साक्ष्य वादी हेतु विनिश्चित है, ऐसी परिस्थिति में, आवेदनपत्र निरस्त किया गया.

सर्वश्री प्रोमिला वर्मा, श्री निशा पीयूश एवं स्वापन मेजर द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 10 फरवरी, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादी श्री करतारचन्द की दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 को मृत्यु हो चुकी है जिसके प्रोमिला वर्मा धर्मपत्नी, निशा पियूष गुहा पुत्री एवं स्वापन मंजरी पुत्री वारिसान को पत्रावली पर लिये जाने का निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में श्री करतारचन्द वर्मा का मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 12 जनवरी, 2017 एवं आवेदकगण द्वारा निष्पादित प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया. जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति हस्ताक्षरित करने के परिणामताः आवेदनपत्र स्वीकार किया गया. यथा संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया गया.

साक्ष्य प्रतिवादी हेतु श्री प्रेमकुमार, श्री रमेशकुमार, श्री मोहनलाल एवं श्री मेजरसिंह द्वारा प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये जिनसे जिरह की गयी.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

> विवाद्यक संख्या 1 – क्या चक 4 जे बडा तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 3 से 8(3.00) बीघा, किला नम्बर 13/2(0.10) बीघा, किला नम्बर 14 से 17 एवं किला नम्बर 24 व 25 कुल 12.10 बीघा एतद्द्वारा 3.087 हैक्टर कृषि भूमि पक्षकारान की संयुक्त खाता की कृषि भूमि है? **....वादी**

राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2062–2065 के अनुसार चक 4 जे बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 31/30 मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 3(0.228), किला नम्बर 4(0.228), किला नम्बर 5(0.228), किला नम्बर 6(0.253), किला नम्बर 7(0.253), किला नम्बर 8(0.253), किला नम्बर 1/23(0.126), किला नम्बर 14 से 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 3.163 हैक्टर कृषि भूमि एतद्द्वारा मय खाता के श्री टोपनदास 0.632 हैक्टर, श्री करतारचन्द 0.843 हैक्टर एवं प्रेमचन्द 1.687 हैक्टर के सह खातेदार हैं. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 वादी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट टेक) श्रीगंगानगर

विवाद्यक संख्या 2 –क्या प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत वादी विभाजन करवा कर अपने अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है? ....वादी

राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2062–2065 के अनुसार चक 4 जे बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 31/30 मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 3(0.228), किला नम्बर 4(0.228), किला नम्बर 5(0.228), किला नम्बर 6(0.253), किला नम्बर 7(0.253), किला नम्बर 8(0.253), किला नम्बर 1/23(0.126), किला नम्बर 14 से 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 3.163 हैक्टर कृषि भूमि एतद्द्वारा मय खाता के श्री टोपनदास 0.632 हैक्टर, श्री करतारचन्द 0.843 हैक्टर एवं प्रेमचन्द 1.687 हैक्टर के सह खातेदार हैं. जिसमें वादी अपने हिस्सा तक की कृषि भूमि के लिये विभाजन करवाकर अपने अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 2 वादी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 3 – क्या प्रश्नगत कृषि भूमि बाबत पारिवारिक स्तर पर विभाजन किया गया, जिसके परिणमताः किला नम्बर 15, 16, 25 कुल 3.00 बीघा वादी के हिस्सा में आयी? ..प्रतिवादी–1

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब वादपत्र के प्रारम्भिक आपत्तियों के बिन्दु संख्या 2 में अंकित किया गया है कि कृषि भूमि का मौखिक विभाजन अर्सादराज पूर्व हो चुका है तथा समस्त सह काश्तकार अपने अपने हिस्सा में आयी कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं. वादी श्री करतारचन्द के हिस्सा में किला नम्बर 15, 16 एवं 25 कुल 3.00 बीघा कृषि भूमि आयी हुई है. किन्तु साक्षी वादी श्री मनोज चेतल द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र की जिरह में किये गये कथन कि वादी के कब्जे वाले किला नम्बर 3, 4 एवं 5 में श्री प्रेमचन्द पानी नहीं लगाने देता, वादी की भूमि किला नम्बर 3, 4 एवं 5 अनुपजाउ होने के कारण बिना काश्त के पड़ी है. जिससे स्पष्ट होता है कि वादी का किला नम्बर 3, 4 एवं 5 पर कब्जा है जिससे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र की जिरह में कथन कि यह गलत है कि वादी का कब्जा किला नम्बर 3, 4 एवं 5 पर कब्जा हो. इन तथ्यों से यह कतई सिद्व नहीं होता है कि वादी के हिस्सा में किला नम्बर 15, 16 एवं 25 कुल 3.00 बीघा कृषि भूमि आयी किन्तु किला नम्बर 3, 4 एवं 5 पर वादी का कब्जा है. ऐसी स्थिति में, विभाजन प्रस्ताव अपेक्षित है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 4 – क्या प्रश्नगत कृषि भूमि में से श्री रामचन्द्र द्वारा अपने हिस्सा की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय की गयी है? ...प्रतिवादी–1

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जवाब वादपत्र की प्रारम्भिक आपत्तियों के बिन्दु संख्या 6 में अंकित किया गया है कि श्री रामचन्द्र के हिस्सा मुझे बंटवारा से पहले ही बेच दिया. इसके अनुसरण में, साक्ष्य प्रतिवादी हेतु प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र के बिन्दु संख्या 4 में अंकित किया गया रामचन्द्र के हिस्सा में किला नम्बर 3 से 8 एवं किला नम्बर 13 का आधा बीघा, रामचन्द्र ने अपना हिस्सा मुझे बेच दिया. जिसकी पुष्टि पंजीबद्व दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 13 जून, 1993 से होती है किन्तु पंजीबद्व दस्तावेज दस्तबरदारी में श्री रामचन्द्र द्वारा प्रश्नगत कुल कृषि भूमि में से अपने 66–2/3 हिस्सा का ही प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग किया गया है किसी भी प्रकार से किसी किला विशेष का परित्याग नहीं किया गया है. इसके अतिरिक्त, वादी द्वारा किसी भी प्रकार से विरोध नहीं किया गया है व न ही इस तथ्य के विरूद्व कोई मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं. ऐसी स्थिति में, विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

अतः राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2062–2065 के अनुसार चक 4 जे बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 31/30 मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 3(0.228), किला नम्बर 4(0.228), किला नम्बर 5(0.228), किला नम्बर 6(0.253), किला नम्बर 7(0.253), किला नम्बर 8(0.253), किला नम्बर 1/23(0.126), किला नम्बर 14 से 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 3.163 हैक्टर कृषि भूमि एतद्द्वारा मय खाला के श्री टोपनदास 0.632 हैक्टर, श्री करतारचन्द 0.843 हैक्टर एवं प्रेमचन्द 1.687 हैक्टर के सह खातेदार हैं. जिसके लिये पक्षकारान अपने अपने हिस्सा तक की कृषि भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी है.

।। आदेश ।।

वादपत्र स्वीकार किया जाता है. राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2062–2065 के अनुसार चक 4 जे बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 31/30 मुरब्बा नम्बर 41 की कुल 3.163 हैक्टर कृषि भूमि खाला के श्री टोपनदास 0.632 हैक्टर, श्री करतारचन्द 0.843 हैक्टर एवं प्रेमचन्द 1.687 हैक्टर के सह खातेदार हैं. जिसके लिये पक्षकारान अपने अपने हिस्सा तक की कृषि भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी घोषित किये गये. तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा विभाजन प्रस्ताव संख्या भू.अ./2018/1372 दिनांक 06 मार्च, 2018, भू.अ.निरीक्षक, वृत कालियां द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी सम्बत् 2066–69 प्रस्तुत किया गया जिस पर जहां प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति हस्ताक्षरित की गयी वहीं वादी अधिवक्ता द्वारा मुरब्बा नम्बर 61/14 के 0.076 हैक्टर के विभाजन पर आपत्ति प्रकृट की गयी जबकि मुरब्बा नम्बर 61/14 के 0.076 हैक्टर खाल की भूमि है जिसे नियमानुसार ही पक्षकारान में विभाजित किया जाकर समस्त सहखातेदारों को सिचाई की सुविधा उनमें विभाजित कृषि भूमि के अनुपात में उपलब्ध करवायी गयी है.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

ऐसी स्थिति में, विभाजन प्रस्ताव के अनुसार **श्री करतारचन्द आत्मज श्री गुरायाराम को** – चक 4 जे बड़ा के मुरब्बा नम्बर 41 किला नम्बर 5/2(0.148) हैक्टर, किला नम्बर 6/2(0.169) हैक्टर, किला नम्बर 15/2(0.169) हैक्टर, किला नम्बर 16/2(0.169) हैक्टर, किला नम्बर 25/2(0.169) हैक्टर कुल 0.823 हैक्टर कृषि भूमि एवं मुरब्बा नम्बर 61/14/1(0.020) हैक्टर खाल एतद्द्वारा 0.020 हैक्टर खाल योग 0.843 हैक्टर, **श्री श्यामलाल आत्मज श्री टोपनदास को** – चक 4 जे बड़ा के खाता संख्या 32/31 मुरब्बा नम्बर 41 किला नम्बर 4/2(0.041) हैक्टर, किला नम्बर 5/1(0.080) हैक्टर, किला नम्बर 6/1(0.085) हैक्टर, किला नम्बर 7/2(0.040) हैक्टर, किला नम्बर 14/2(0.040) हैक्टर, किला नम्बर 15/1(0.084) हैक्टर, किला नम्बर 16/1(0.084) हैक्टर, किला नम्बर 17/2(0.040) हैक्टर, किला नम्बर 24/2(0.040) हैक्टर, किला नम्बर 25/1(0.084) हैक्टर कुल 0.618 हैक्टर कृषि भूमि एवं मुरब्बा नम्बर 61/14/2 में 0.015 हैक्टर खाल योग 0.633 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल एवं **श्री प्रेमचन्द आत्मज श्री गुरायाराम को** – चक 4 जे ड़ा के खाता संख्या 32/31 मुरब्बा नम्बर 41 किला नम्बर 3(0.228) हैक्टर, किला नम्बर 4/1(0.187) हैक्टर, किला नम्बर 7/1(0.213) हैक्टर, किला नम्बर 8(0.253) हैक्टर, किला नम्बर 13/2(0.126) हैक्टर, किला नम्बर 14/1(0.213) हैक्टर, किला नम्बर 17/1(0.213) हैक्टर, किला नम्बर 24/1(0.213) हैक्टर, कुल 1.646 हैक्टर कृषि भूमि एवं मुरब्बा नम्बर 61/14/3(0.041) हैक्टर खाल योग 1.687 हैक्टर (ओ.बी.सी. शाखा–नगरपरिषद, श्रीगंगानगर के ऋणाधीन) का खातेदार घोषित किया जाता है. वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे. यथा डिक्री जारी हो.

निर्णय पक्षकारान की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 04 अप्रेल, 2018 को जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर